न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2023 (राजसमन्द डिक्री)

1. मेहताबसिंह पिता किशनसिंह जी, जाति राजपूत मृतक के बजाय :–

1/1. दीपसिंह पिता मेहताबसिंह, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. भूरसिंह पिता मेहताबसिंह, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. राजेन्द्रसिंह पिता मेहताबसिंह, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. विक्रमसिंह पिता मेहताबसिंह, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. सुरेन्द्रसिंह पिता मेहताबसिंह, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/6. केशर कुंवर पुत्री मेहताबसिंह, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/7. रेखा कुंवर पुत्री मेहताबसिंह, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/8. मेहताब कुंवर पत्नी मेहताबसिंह, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

1/9. मीरा कुंवर पत्नी स्वर्गीय नानसिंह, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. दौलतसिंह पिता किशनसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी बडलावाली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भैरूसिंह पिता किशनसिंह जी, जाति राजपूत मृतक के बजाय :–

2/1. कल्याणसिंह पिता भैरूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. गोवर्धनसिंह पिता भैरूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. प्रेमसिंह पिता भैरूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/4. सवाईसिंह पिता भैरूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/5. लहर कुंवर पुत्री भैरूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

2/6. भंवर कुंवर पुत्री भैरूसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:10 IST
Reason: SelfAttested

3. अर्जुनसिंह पिता मोहनसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. गजेसिंह पिता मोहनसिंह जी, जाति राजपूत मृतक के बजाय :–

4/1. दशरथसिंह पिता स्वर्गीय गजेसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/2. कुन्दनसिंह पिता स्वर्गीय गजेसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

4/3. श्रीमती केशर कुंवर पत्नी स्वर्गीय गजेसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

5. रणजीतसिंह पिता मोहनसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी वीरान, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. मीना कुंवर पुत्री नानसिंह जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी बडलावाली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. जसवन्त कुंवर पुत्री नानसिंह जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी बडलावाली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. हंसराजसिंह पिता नानसिंह जाति राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी बडलावाली, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा दिनांक
26–06–2023 प्रकरण संख्या 119/2013

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री हिमाशु सोलंकी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री गजेन्द्र सिंह राव अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9

———::———

निर्णय **दिनांक 19–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व गांव चेनपुरिया में वाद पत्र की परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नंबर 9 व 10 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी प्रकार राजस्व गांव कल्लाखेड़ी बडलावाली में परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 46, 80, 113, 114, 145, 152 कुल किता 6 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:10 IST
Reason: SelfAttested

तथा इसी प्रकार राजस्व गांव कल्लाखेडी वीरान में परिशिष्ट ''स'' की आराजी नंबर 21 से 27, 41, 42, 45 से 48, 53 से 55, 84, 85, 87 से 89 कुल किता 21 रकबा 35 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है।

उक्त परिशिष्ट ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' की आराजियात में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को 1/4, 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में अंकित है। उक्त भूमि मौके पर बंटी होकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हैं, किन्तु भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूल पुरूष किशनसिंह जी के 4 पुत्र भैरूसिंह, मोहनसिंह, मेहताबसिंह एवं दौलतसिंह हुए। मोहनसिंह का स्वर्गवास होकर उनके वारिस अर्जुनसिंह, गजेसिंह, रणजीतसिंह एवं भूर कुंवर हैं। अतः उपरोक्त आराजियात का पक्षकारों के मध्य 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेखों में खाते अलग–अलग अंकित किये जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 25–07–2022 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की। उक्त प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध दिनांक 14–11–2022 को प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/8 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी, जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 16–11–2022 से प्रतिवादी की प्रारम्भिक आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया एवं मृतक खातेदार नानसिंह के वारिसान का नाम दर्ज किया गया तथा तहसीलदार को संशोधित विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25–07–2022 के विरूद्ध अपील प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान द्वारा न्यायालय हाजा में भी प्रस्तुत हुई थी, जो उभयपक्षों की बहस सुनने के पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08–02–2023 को खारिज कर दी गयी थी। न्यायालय हाजा द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की अपील खारिज होने का अंकन करते हुए अधिनस्थ न्यायलाय ने दिनांक 12–04–2023 को प्रारम्भिक डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार नाथद्वारा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 26–06–2023 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–07–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:10 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री गजेन्द्रसिंह राव उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो पक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध की गयी है, न ही कोई अवसर प्रदान किया गया है, सीधे ही प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलान्ट ने आराजी नंबर 87, 88 व 89 के संबंध में इन्द्राज दुरस्ती का वाद प्रस्तुत कर रखा है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद को सम्मिलित किये बगैर भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25–07–2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वारिसान की ओर से जवाब का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त कृषि भूमि का मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने में पक्षकारान को किसी प्रकार का उजर आपत्ति नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन मिथ्या एवं आधारहीन है। आराजी नंबर 113 किस्म मकान है, जिसके संबंध में विभाजन की कार्यवाही का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, बल्कि कार्यालय में बैठकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा जो आपत्तियां उठायी गयी हैं, वह प्रारम्भिक डिक्री के संबंध में हैं, जबकि प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्व में आप न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार का कथन करने का अपीलान्ट को अब कोई अधिकार नहीं है। जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:10 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत अपील में उठायी गयी ज्यादातर आपत्तियां प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध हैं, जबकि उनके द्वारा प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08–02–2023 को गुणावगुण आधार पर खारिज की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध किसी प्रकार का कथन करने का अब अपीलान्टगण को कोई अधिकार नहीं है। जहां तक अंतिम डिक्री का प्रश्न है, विभाजन प्रस्ताव में किशनसिंह के चारों पुत्रों को विवादित आराजियात में से लगभग समान रकबा दिया गया है। अपीलान्टगण ने इस बाबत् हमारे सम्मुख ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी है, जिससे यह साबित होता हो कि उन्हें विभाजन में कम भूमि दी गयी हो, या विभाजन मीट्स एण्ड बाउण्ड्स नहीं किया गया है। यदि अपीलान्टगण विभाजन प्रस्ताव से सहमत नहीं थे तो उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी आपत्ति क्यों नहीं प्रस्तुत की गयी ? अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23–06–2023 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 अर्थात हाल अपीलान्टगण के अधिवक्ता को बार–बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद वे अनुपस्थित रहे तथा उनके द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी है। दिनांक 26–06–2023 को भी 3 बार आवाज लगाने के बावजूद भी अपीलान्ट/प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जो अंतिम डिक्री जारी की है वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–06–2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:10 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

मेहताबसिंह मृतक के बजाय दीपसिंह पिता मेहताबसिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेडी वीरान, तहसील नाथद्वारा व अन्य बनाम **दौतलसिंह पिता किशनसिंह राजपूत, निवासी कल्लाखेड़ी बडलावाली, तह. नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**17 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**नाथद्वारा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**26**.....माह.....**06**.....**2023**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**19**.....माह.....**.10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हिमांशु सोलंकी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री गजेन्द्रसिंह राव**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–06–2023 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**19**.....माह.....**.10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:01:10 IST
Reason: SelfAttested